>

Title: Need to release crop insurance to the drought affected farmers in Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राजस्थान में पड़े सूखे की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से 26 डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा घोषित है। आप यह समझ सकते हैं कि 33 जिलों में से 26 जिलों में सूखा है, तो वहां पर सूखे की कैसी स्थिति होगी। वहां के किसान और पशुधन की स्थिति कैसी है, आप इससे समझ सकते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नैशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन और भारत सरकार की एक स्कीम फसल बीमा है। नैशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन के खाते में कमर्शियल बैंक और सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक से आटोमेटिक प्रिमियम जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जब क्लेम का भुगतान होता है, तो उसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान लीजिए वर्ष 2009 का क्लेम है और भुगतान 2010 में होगा तो उससे किसान को क्या फायदा होगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन की प्रक्रिया में सुधार करें। जब अकाल, सूखा पड़ा हुआ है, उस समय उसको क्लेम नहीं देंगे, तो कब देंगे। मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई गलत क्लेम ले सकता है। मैं समझ पाया हूं कि पांच प्रतिशत से ज्यादा कोई गलत क्लेम मिलेगा भी नहीं, फिर 95 प्रतिशत किसान तो ठीक हैं। अगर पांच प्रतिशत किसान ने गलत क्लेम ले भी लिया, तो आप अगले साल रिएडजस्टमेंट कर लीजिए। किसान को आप तकलीफ क्यों देते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कारपोरेशन की प्रक्रिया में सुधार हो। There is a gap between filing the insurance claim and payment of the insurance claim. Hence, this gap should be bridge immediately, and this is my request, through you, to the Government.